नसीब हुसैन सिद्दी व अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील संख्या- 1879/2011)

28 सितंबर, 2011

[सिरिएक जोसेफ और टी. एस. ठाकुर,जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धारा 325, 506 (2), 333, 342 और 114 के अंतर्गत दोषसिद्धि - अपीलकर्ता संख्या 1 और एक अन्य व्यक्ति कांस्टेबल के बीच झगड़ा - शिकायतकर्ता ने उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने का आदेश दिया - अपीलकर्ता संख्या 1 ने शिकायतकर्ता को पकड़ लिया और उसे धक्का दे दिया- अपीलकर्ता 2 और 3, अपीलकर्ता संख्या 1 की मां और पत्नी अपीलकर्ता संख्या 1 के साथ शामिल हो गईं, शिकायतकर्ता के साथ कहासुनी हुई और उसे अपीलकर्ता संख्या 1 को पुलिस स्टेशन ले जाने से रोका -अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, हालांकि, सजा को कम कर डेढ़ वर्ष दिया- अपील में, अभिनिर्धारित: अपीलकर्ताओं में से दो महिलाएं थीं और उन्होंने शिकायतकर्ता पर शारीरिक हमला नहीं किया था - यहां तक कि अपीलकर्ता संख्या 1 पर भी घटना में शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी बल का इस्तेमाल करने का आरोप नहीं लगाया गया था - घटना लगभग दस साल पहले हुई थी - सभी परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता संख्या 1, जो शिकायतकर्ता को हुई गंभीर चोट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था, उसे दी गई सजा पहले ही भुगत चुका है। न्याय का हित पर्याप्त रूप से पूरा होगा यदि

अपीलकर्ताओं को दी गई सजा को संशोधित किया जाए और उनके द्वारा भुगती गई सजा तक कम कर दिया जाए।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या- 1879/2011

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के आपराधिक अपील संख्या 315/2007 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.04.2011 से ।

डी.एन.राय, लोकेश के.चौधरी और सुमिता राय - अपीलकर्ताओं की ओर से

हेमन्तिका वाही और जेसल - अपीलकर्ता की ओर से ।

न्यायालय का आदेश न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर, द्वारा पारित किया गया:-

<u>आदेश</u>

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत धारा 325, 506 (2), 333, 342 और 114 भा.द.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है और सजा को घटाकर डेढ़ साल की अवधि के कारावास में बदल दिया।

3. जब विशेष अनुमति याचिका स्वीकृति के लिए आई, तो इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा केवल सजा के प्रश्न पर प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किया। इसलिए, हम दोषसिद्धि के आदेश की वैधता की जांच नहीं कर रहे हैं, जिसे निचले दोनों न्यायालयों ने अभिलेख पर साक्ष्य की उचित अभिमूल्यन करते हुए पारित किया है। एकमात्र प्रश्न जिस पर हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं को दी गई सजा को कम करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो किस सीमा तक।

4. अपीलकर्ताओं के मामले की उत्पत्ति 7 सितंबर, 2003 को गुजरात राज्य के कच्छ जिले के चित्रोड गांव में हुई एक घटना में निहित है। मामले में शिकायतकर्ता, प्रासंगिक अवधि के दौरान, पुलिस थाना भीमासर की चित्रोड़ चौकी पर तैनात एक कांस्टेबल था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 7 सितंबर, 2003 को सुबह लगभग 10.30 बजे जब शिकायतकर्ता गश्त ड्यूटी पर था, उसने किसी बाबूभाई को आरोपी नंबर 1 हुसैन इब्राहिम सिद्दी के साथ सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करते हुए पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि कांस्टेबल ने झगड़ा कर रहे दोनों लोगों समझाया और उनसे पूछा कि वे शांति क्यों भंग कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ पुलिस थाने चलने का आदेश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे हुसैन इब्राहिम सिद्दी क्रोधित हो गया और उन्होंने कांस्टेबल का कॉलर पकड़ा और उसे धक्का दे दिया। इस बीच, हुसैन इब्राहिम सिद्दी का पुत्र, पत्नी और मां भी हुसैन इब्राहिम सिद्दी के साथ हो गए, उन्होंने कांस्टेबल के साथ कहासुनी की और उसे हुसैन इब्राहिम सिद्दी को पुलिस थाने ले जाने से रोका। यह उन आरोपों पर था कि हुसैन इब्राहिम और अपीलकर्ताओं पर पूर्व वर्णित अपराधों के लिए एक साथ विचारण चलाया गया था।

5. विचारण में अभियोजन पक्ष ने अपने मामले का समर्थन में 13 गवाहों को परीक्षित कराया। इन गवाहों के बयान विचारण न्यायालय द्वारा विश्वसनीय पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप हुसैन इब्राहिम को धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और पाँच वर्ष के कठोर कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गई। व्यतिक्रम किए जाने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। उसे भा.द.सं. की धारा 506 (2) के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया और पांच साल की अवधि के लिए कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना और व्यतिक्रम किए जाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। हुसैन इब्राहिम को इसके अलावा धारा 333 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और पांच साल का

कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना और व्यतिक्रम किए जाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। भा.द.सं. की धारा 342 के अंतर्गत उसे एक साल का कारावास और 100/- रुपये जुर्माना और व्यतिक्रम किए जाने पर एक महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

6. जहां तक अपीलकर्ता हुसैन सिद्दी, इब्राहिम सिद्दी की पत्नी मालुबाई और हुसैन इब्राहिम की पत्नी हवाबाई का संबंध है, विचारण न्यायालय ने उन्हें भी भा.द.सं. की धारा 333 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया और उन्हें तीन वर्ष के साधारण कारावास व 200/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हमारे सामने अभियुक्त संख्या 3 मालूबाई और अपीलकर्ता को भी धारा 506 (2) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और तीन वर्ष की अवधि का कारावास और 500/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

7. दोषसिद्धि और सजा के आदेशों से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसमे अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उन सभी को दी गई सजा को तीन साल से घटाकर डेढ़ साल कर दिया।

8. यह सामान्य आधार है कि अपीलकर्ताओं, जिनमें से दो महिलाएँ हैं, ने कांस्टेबल पर शारीरिक हमला नहीं किया था। यहां तक कि अपीलकर्ता संख्या 1 पर भी यह आरोप नहीं है कि उसने प्रश्नगत घटना में कांस्टेबल के खिलाफ कोई बल प्रयोग किया है। यह घटना अब तक करीब दस साल पुरानी हो चुकी है। इन सभी परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त संख्या 1 हुसैन इब्राहिम सिद्दी, जो कांस्टेबल को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था, उसे दी गई सजा पहले ही भुगत चुका है। हमारी राय है कि यदि अपीलकर्ताओं को

दी गई सजा को संशोधित किया जाए और उनके द्वारा भुगती गई सजा तक कम कर दिया जाए तो न्याय का हित पर्याप्त रूप से पूरा हो जाएगा।

9. हम तदनुसार आदेश देते है जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, अपीलकर्ताओं को तुरंत छोड़ दिया जावे। उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

डी.जी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।